भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 895
जिसका उत्तर शुक्रवार, 29 नवम्बर, 2024 को दिया जाना है

लंबित मामले

895. श्री जिया उर रहमान :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या सरकार ने न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम करने तथा कानूनी प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कोई नीति बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : न्यायालयों में मामलों का निपटारा न्यायपालिका के अनन्य अधिकार क्षेत्र में आता है। तथापि, केंद्रीय सरकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन मामलों के शीघ्र निपटारे और लंबित मामलों को कम करने के प्रति अटल है। इस उद्देश्य से, सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के लिए कई पहलें की हैं:

i. राष्ट्रीय मिशन की स्थापना अगस्त, 2011 में की गई थी, जिसके दो उद्देश्य थे -प्रणाली में देरी और बकाया को कम करके पहुँच बढ़ाना और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जवाबदेही बढ़ाना तथा प्रदर्शन मानकों और क्षमताओं को निर्धारित करना। मिशन, न्यायिक प्रशासन में बकाया और लंबित मामलों के चरणबद्ध परिसमापन के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपना रहा है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कम्प्यूटरीकरण सहित न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की स्वीकृत पद संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले संभावित क्षेत्रों में नीति और विधायी उपाय, मामलों के त्वरित निपटान के लिए न्यायालय प्रक्रिया की पुनः इंजीनियरी और मानव संसाधन विकास पर जोर देना शामिल है।

ii न्यायिक अवसंरचना के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के अधीन, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को न्यायालय कक्षों, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टरों, वकीलों के हॉल, शौचालय परिसरों और डिजिटल कंप्यूटर कक्षों के निर्माण के लिए निधियां जारी की जा रही हैं, जिससे मुवक्किलों सहित विभिन्न पणधारियों का जीवन आसान हो सके और न्याय प्रदान करने में सहायता मिल सके । 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) की शुरुआत से लेकर अब तक 11571.57 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। इस योजना के अधीन न्यायालय कक्षों की संख्या 30.06.2014 को 15,818 से बढ़कर 31.10.2024 को 23,590 हो गई है और आवासीय इकाइयों की संख्या 30.06.2014 को 10,211 से बढ़कर 31.10.2024 को 21,076 हो गई है।

iii. इसके अतिरिक्त ई- न्यायालय मिशन मोड परियोजना के चरण I और II के अधीन, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की आईटी सक्षमता के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ

उठाया गया है । 2023 तक 18,735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत किया गया। 99.5% न्यायालय परिसरों को डब्ल्यूएएन कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। 3,240 न्यायालय परिसरों और 1,272 संबंधित जेलों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा परिचालित की गई है। 30.09.2024 तक, जिला न्यायालयों में 1375 ई-सेवा केंद्र और उच्च न्यायालयों में 28 ई-सेवा केंद्र वकीलों और मुवक्किलों को नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करके डिजिटल डिवाइड को पाटने के लिए कार्यात्मक बनाए गए हैं। 21 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 28 आभासी न्यायालय स्थापित किए गए हैं । 30.09.2024 तक, इन न्यायालयों ने 5.82 करोड़ से अधिक मामलों पर कार्रवाई की और 634.74 करोड़ रूपए से अधिक जुर्माने के रूप में वसूले । कैबिनेट ने 13.09.2023 को 7,210 करोड़ रुपये के परिव्यय पर ई-न्यायालय चरण-III को मंजूरी दी है। चरण-I और चरण-II के लाभों को अगले स्तर पर ले जाते हुए, ई-न्यायालय चरण-III का उद्देश्य डिजिटल, ऑनलाइन और कागजरहित न्यायालयों की ओर बढ़ते हुए न्याय की सुगमता की व्यवस्था को प्रारंभ करना है। इसका उद्देश्य न्याय वितरण को सभी पणधारियों के लिए उत्तरोत्तर अधिक मजबूत, आसान और सुलभ बनाने के लिए कृत्रितम बुद्धिमत्ता (एआई) ब्लॉक चेन आदि जैसी नवीनतम तकनीक को शामिल करना है।

iv. सरकार भारत, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को नियमित रूप से भरती रही है। 01.05.2014 से 21.11.2024 तक उच्चतम न्यायालय में 64न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। इसी अवधि के दौरान उच्च न्यायालयों में 999 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई और 767 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी किया गया। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या मई, 2014 में 906 से बढ़कर अब तक 1122 हो गई है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पद संख्या में निम्नानुसार वृद्धि हुई है:

निम्नलिखित तारीख तक	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत पद संख्या
31.12.2013	19,518	15,115
21.11.2024	25,725	20,487

तथापि, जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरना संबंधित राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

v. अप्रैल 2015 में आयोजित मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में पारित प्रस्ताव के अनुसरण में, पांच साल से अधिक समय से लंबित मामलों को निपटाने के लिए सभी 25 उच्च न्यायालयों में बकाया समितियों का गठन किया गया है। जिला न्यायालयों के अधीन भी बकाया समितियों का गठन किया गया है।

vi. चौदहवें वित्त आयोग के तत्वावधान में जघन्य अपराधों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों आदि से जुड़े मामलों से निपटने के लिए त्वरित निपटान न्यायालय की स्थापना की गई है । 30.09.2024 तक, जघन्य अपराधों, महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध आदि के मामलों को निपटाने के लिए 862 त्वरित् निपटान न्यायालय कार्यरत हैं। निर्वाचित सांसदों/विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों को त्वरित निपटान करने के लिए, नौ (9) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में दस (10) विशेष न्यायालय कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सरकार ने बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए देश भर में त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी है। 30.09.2024 तक, देश भर के 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 408 अनन्य पॉक्सो (ईपॉक्सो) न्यायालयों सहित 750 एफटीएससी कार्यरत हैं, जिन्होंने 2,81,000 से अधिक मामलों का निपटान किया है।

vii. न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम करने और कामकाज को आसान बनाने के उद्देश्य से सरकार ने विभिन्न विधियों में संशोधन किया है, जैसे परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विशिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 और आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनिय, 2018 ।

viii. वैकल्पिक विवाद समाधान विधियों को ह्रदय से बढ़ावा दिया गया है। तदनुसार, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 को अगस्त, 2018 में संशोधित किया गया था, जिससे वाणिज्यिक विवादों के मामले को संस्थित करने से माध्यस्थम् और निपटान (पीआईएमएस) अनिवार्य हो गया। माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा और माध्यस्थम् सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन करके समयसीमा निर्धारित करके विवादों के त्वरित समाधान में तेजी लाई गई है।

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के अधीन, मामला प्रबंधन सुनवाई का उपबंध है जो किसी मामले के कुशल, प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण न्यायिक प्रबंधन के लिए उपबंध करता है ताकि विवाद का समय पर और गुणवत्तापूर्ण समाधान प्राप्त किया जा सके। यह तथ्य और विधि के विवादित मुद्दों की शीघ्र पहचान, मामले के जीवनकाल के लिए प्रक्रियात्मक कैलेंडर की स्थापना और विवाद के समाधान की संभावनाओं की खोज में सहायता करता है।

वाणिज्यिक न्यायालयों के लिए प्रारंभ की गई एक अन्य नवीन विशेषता कलर बांडिंग की प्रणाली है, जो किसी भी वाणिज्यिक मामले में दिए जाने वाले स्थगन की संख्या को तीन तक सीमित कर देती है तथा न्यायाधीशों को लंबित मामलों के चरण के अनुसार मामलों को सूचीबद्ध करने के बारे में सचेत करती है।

ix. लोक अदालत आम लोगों के लिए उपलब्ध एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है। यह एक ऐसा मंच है जहाँ न्यायालय में लंबित या मुकदमेबाजी से पहले के विवादों/मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा/समझौता किया जाता है। विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन, लोक अदालत द्वारा दिया गया निर्णय सिविल न्यायालय की डिक्री माना जाता है और यह अंतिम होता है तथा सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है तथा इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं की जा सकती। लोक अदालत कोई स्थायी स्थापन नहीं है। राष्ट्रीय लोक अदालतें सभी तालुकों, जिलों और उच्च न्यायालयों में एक साथ पूर्व-निर्धारित तारीख पर आयोजित की जाती हैं।

पिछले चार वर्षों के दौरान राष्ट्रीय लोक अदालतों में निपटाए गए मामलों का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	मुकदमे-पूर्व मामले	लंबित मामले	कुल योग
2021	72,06,294	55,81,743	1,27,88,037
2022	3,10,15,215	1,09,10,795	4,19,26,010
2023	7,10,32,980	1,43,09,237	8,53,42,217
2024 (09.11.24 तक)	6,46,35,285	1,26,34,580	7,72,69,865
कुल	**17,38,89,774**	**4,34,36,355**	**21,73,26,129**

x. सरकार ने 2017 में टेली-लॉ कार्यक्रम शुरू किया, जो ग्राम पंचायतों में स्थित कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन और चैट सुविधाओं और टेली-लॉ मोबाइल ऐप के माध्यम से पैनल वकीलों के साथ विधिक सलाह और परामर्श चाहने वाले जरूरतमंद और वंचित वर्गों को जोड़ने वाला एक प्रभावी और विश्वसनीय ई-इंटरफेस मंच प्रदान करता है।

*टेली-लॉ डाटा का प्रतिशतवार ब्यौरा

वर्ग	पंजीकृत मामले	% वार ब्यौरा	दी गई सलाह	% वार ब्यौरा
लिंग के अनुसार				
महिला	4014611	39.12	3963499	39.06
पुरुष	6247980	60.88	6183286	60.94
जाति श्रेणीवार				
सामान्य	2387060	23.26	2352649	23.19
अन्य पिछड़ा वर्ग	3252495	31.69	3213067	31.67
अनुसूचित जाति	3246025	31.63	3215657	31.68
अनुसूचित जनजाति	1377011	13.42	1366312	13.47
कुल	**10262591**		**10146785**	

*डेटा 31-10-2024 तक.

xi. देश में प्रो बोनो संस्कृति और प्रो बोनो वकालत को संस्थागत बनाने के प्रयास किए गए हैं। एक तकनीकी ढांचा तैयार किया गया है, जहाँ प्रो-बोनो कार्य के लिए अपना समय और सेवाएँ देने वाले अधिवक्ता न्याय बंधु (एंड्रॉइड और आईओएस और ऐप्स) पर प्रो-बोनो अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण कर सकते हैं। न्याय बंधु सेवाएँ उमंग प्लेटफ़ॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। राज्य स्तर पर 23 उच्च न्यायालयों में अधिवक्ताओं का प्रो-बोनो पैनल शुरू किया गया है। नवोदित वकीलों में प्रो-बोनो संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 109 लॉ स्कूलों में प्रो-बोनो क्लब शुरू किए गए हैं।

****